



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052021-227099  
CG-DL-E-21052021-227099

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1822]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 2021/वैशाख 31, 1943

No. 1822]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 21, 2021/VAISAKHA 31, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 2021

का.आ. 1949(अ).— जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेषाधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 15.01.2021 के पीडी-12001/02/2021- कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री मनीष कुमार जैन, सुपुत्र श्री सुभाष चंद जैन, निवासी ए-74, स्वास्थ्य विहार, नई दिल्ली-110092 को हिरासत में लिया जाए और प्रेसीडेन्सी सुधार गृह, कोलकाता में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने द्वारा तस्करी के माल के अन्यथा लेन-देन से रोका जा सके।

2. जबकि, केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, दिल्ली या पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं.पीडी-12001/02/2021 - कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)**

**(COFEPOSA WING)**

**ORDER**

New Delhi, the 21st May, 2021

**S.O. 1949(E).**—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/02/2021-COFEPOSA dated 15.01.2021 under the said sub-section directing that Shri Manish Kumar Jain, S/o Shri Shubhash Chand Jain, R/o A-74, Swasthya Vihar, New Delhi -110092 be detained and kept in Presidency Correctional Home, Kolkata with a view to prevent him from smuggling of goods, abetting the smuggling of goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Hqrs., Delhi or the Director General of Police, Government of West Bengal, Kolkata within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12001/02/2021-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.